न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—192/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/192)

1. उगमाराम पुत्र भैरू
2. कृष्णाराम पुत्र भैरू
3. गीता पुत्री चौथू जी
4. झमकू पुत्री चौथू
5. तेजा पुत्र चौथू
6. देवाराम पुत्र भैरू
7. नैनी पुत्री चौथू
8. नीमा पुत्री रामदेव नाबालिग जरिए संरक्षक वली माता नौरती
9. पुखराज पुत्र चौथू
10. मूला पुत्र घीसा
11. मोहन पुत्र घीसा
12. रूपीदेवी पत्नी भैरूराम
13. राजू पुत्र चौथू
14. विष्णु पुत्र घीसा
15. शारदा पुत्री चौथू
16. शिवराज पुत्र चौथू
17. संतोष पुत्री चौथू
18. नौरती पत्नी रामदेव
19. हेमराम पुत्र भैरू
20. हंसराज पुत्र रामदेव नाबालिग जरिए संरक्षक वली माता नौरती समस्त जाति गुर्जर, निवासी भैरूखेड़ा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. अमराराम पुत्र विरमराम जाति गुर्जर
2. विरमराम पुत्र डाउराम जाति गुर्जर
3. सम्पत पुत्र रामलाल जाति माली
   समस्त निवासी भैरूखेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
4. सरपंच ग्राम पंचायत भैरूखेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर, अजमेर
6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, ब्यावर

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर विरूद्ध आदेश दिनांक 11.04.2022 राजस्व वाद संख्या 10/2022(2022/30).

उपस्थितः—

1. श्री जी0एस0लखावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री करण सिंह गुर्जर अभिभाषक, रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5,6.
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 04 अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः—12.12.2022

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के द्वारा प्रकरण संख्या 10/2022(2022/30) में पारित आदेश दिनांक 11.04.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नाटिस तलब किया, अप्रार्थी संख्या 4 ने जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में मौका रिपार्ट तलब की तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी ब्यावर ने प्रार्थना पत्र का निर्णय दिनांक 26.03.2021 पारित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की उक्त अपील का निर्णय दिनांक 5.7.2021 को करते हुए उपखण्ड अधिकारी ब्यावर को पुनः संशोधित निर्णय पारित करने बाबत प्रतिप्रेषित कर दिया, तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी ब्यावर ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया तथा प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजीयात में से 10 फीट से बढाकर 30 फीट चौडा रास्ता दिए जाने का निवेदन किया। दोनों पक्षों की बहस सुनते हुए न्यायालय ने पुनः उसी निर्णय को दोहराते हुए खसरा संख्या 581/474 में से 10 फीट चौडा रास्ता ही दिए जाने बाबत आदेश प्रदान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के द्वारा प्रकरण संख्या 10/2022(2022/30) में पारित आदेश दिनांक 11.04.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 04 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए निवदेन किया कि प्रार्थीगण ने दिनांक 23.06.2022 को प्रकरण की जानकारी करने हेतु अभिभाषक से सम्पर्क किया, जिस पर प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रकरण में दिनांक 11.4.2022 को निर्णय होने की जानकारी दी, तथा इससे पूर्व निर्णय की दिनांक की जानकारी नहीं दिया जाना कार्यालय की त्रुटि होना स्वीकार किया तथा दिनांक 23.6.2022 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्राप्त कर ली गई, तथा अन्य दरतावेज आदि प्राप्त कर दिनांक 9.07.2022 को अजमेर आकर अभिभाषक से सम्पर्क किया, व अपील तैयार की जाकर आज दिनांक 11.07.2022 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर ने दिनांक 5.7.2021 को राजस्व अपील प्राधिकारी ने जो निर्देश प्रदान किए, उसके

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अनुसरण में प्रकरण का निस्तारण करना था, परंतु बिना कारण दर्शित किए मात्र कार्यालय निर्माण में बाधा उत्पन्न का कथन कर आदेश पारित कर दिया जबकि खसरा नम्बर 581/474 की कुल भूमि इतनी पर्याप्त है जिमें पंचायत भवन व कार्यालय निर्माण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होना संभव ही नहीं है तथा मौके पर पंचायत भवन बना हुआ है तथा इसरो काफी दूर पर काफी बडा भू भाग खाली है तथा इसके नजरअंदाज करते हुए उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर ने निर्णय पारित कर दिया। 10 फीट चौडा रास्ता वास्तव में किसी भी प्रकार से समुचित नहीं माना जा सकता, जहां पर काश्तकार खेती की जमीन में चारे आदि से भरी ट्रेक्टर गाडी या अन्य सामान लाने ले जाने में पूरी तरह से कठिनाई होती हे तथा इसके अलावा अन्रू कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिस वैकल्पिक रास्ते बाबत अंकन उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर ने किया है वह किसी भी प्रकार से वैकल्पिक रास्ता नहीं माना जा सकता है इस कारण उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.04.2022 निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के न्यायालय में प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रेतिप्रेषित करने के उपरांत न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई जा सकती थी, जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो सकती थी, तथा मौके पर जो पंचायत भवन बना हुआ है उसकी भी तथ्यात्मक रूप से स्थिति आ जाती, परंतु ऐसा नहीं कर उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर ने निर्णय दिनांक 11.04.2022 पारित कर दिया। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.04.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम स्वयं का था। अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट सख्या 01 से 03 ने तत्पश्चात जवाब/बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 581/474 की भूमि ग्राम पंचायत भैरूखेडा के भवन के निर्माण हेतु आवंटन की गई है तथा उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कार्य चल रहा है व ग्राम पंचायत को आवंटित भूमि में किसी भी प्रकार का रास्ता विद्यमान नहीं है। प्रार्थीगण के खसरान मे आने जाने हेतु ग्राम पंचायत भवन हेतु आवंटित भूमि को छोडकर रास्ता विद्यमान है तथा उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण करते आ रहे है। प्रार्थीगण राजनैतिक द्वेषता के कारण ग्राम पंचायत के भवन के निर्माण को रूकवाने हेतु अप्रार्थी को तंग परेशान करना चाहते है। ग्राम पंचायत भैरूखेडा के भवन निर्माण हेतु आवंटन भूमि है, उक्त भूमि पर जिला कलेक्टर ने दिनांक 9.12.2020 को आवंटन आदेश जारी कर ग्राम पंचायत भवन निर्माण हेतु स्वीकृति जारी कर दी उक्त हेतु वित्तिय राशि दिनांक 18.1.2021 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जारी कर ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कार्य निर्माणाधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण वर्तमान में अपने खातेदारी भूमि आवागमन हेतु खसरा नम्बर 475 व 582/474 किस्म चारागाह का उपयोग करता है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के लिए अन्य कोई मार्ग जो सडक/मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए आसान हो। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु वैकल्पिक मार्ग में से खसरा नम्बर 582/474 व 466 व 468 चारागाह भूमि के नंबर आते है तथा वैकल्पिक मार्ग चारागाह भूमि प्रतिबंधित श्रेणी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें विद्धान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात के खसरा नम्बर 470 रकबा 0.6354 खसरा नम्बर 566/471 रकबा 0.3966 बाबत रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकरों को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर तथा उनके समक्ष प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों का अवलोकन कर विधिनुसार उक्त आदेश दिनांक 26.3.2021 पारित किया है तथा उक्त आदेश में अपीलांटस/प्रार्थीगण के रास्ते का भी उल्लेख किया गया है, इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.3.2021 विधि सम्मत प्रतीत होने से हाजा न्यायालय उक्त आदेश में किसी प्रकार हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अपील अपीलांटस खारिज योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 10/2022 (2022/30) में पारित आदेश दिनांक 11.04.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर